न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

(बईंजलास पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 167/11 निर्णय दिनांक 10.11.2022

1.श्री रामसिंह पिता दामला मीणा निवासी रूपारेल मुझवा तहसील बडीसादडी
2.श्रीमती कालीबाई पत्नी दामला मीणा निवासी रूपारेल मुझवा तहसील बडीसादडी

वादीगण

|| बनाम ||

1.श्री चौखा पिता मेंघा मीणा निवासी सग्रामपुरा तहसील बडीसादडी
2.श्री देवा पिता चौखा मीणा निवासी सग्रामपुरा तहसील बडीसादडी

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:45:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्र्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 12 की आराजी नम्बर 28 रकबा 3 बिघा 09 बिस्वा व आराजी नम्बर 29 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बिघा 14 बिस्वा ग्राम संग्रामपुरा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर उक्त आराजी वादी क्रमांक एक के पिता के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। तथा वादी के पिता करीब 25,30 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं। जिनके वारीस वादीगण होकर उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। तथा आगे अकिंत किया की प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोंई सम्बन्ध सरोकार नही होकर वे आराजी में दखल अन्दाजी कर कब्जा करना चाहते हैं जिनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। व वादीगण ने उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज घोषित कराने की दाद भी चाही गयी।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटीस तलब किया गया।प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित आये तथा दावे का जवाबदावा दिया तथा साथ ही काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया तथा अपने जवाबदावे व काउन्टर क्लेम में अकित किया की वादपत्र में आराजीयात में से आराजी नम्बर 28 रकबा 03 बिघा 09 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण क्रमाक एक व दो काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। क्योकि उक्त आराजी राम सिंह पिता दाम सिंह के द्वारा व धन्ना व नाथू जो उसके परीवार के है उनके द्वारा उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 28 रकबा 3 बिगा 09 बिस्वा प्रतिवादी चौखसिंह को बिल एवज 26000/ छब्बीस हजार रूपये में विक्रय कर दिनांक 14/06/1992 को एक लिखा पढी बिकाव नामा स्टाम्प पर गवाहो के समक्ष श्री चोख सिंह के पक्ष में निष्पादित कर अपने

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी जि. चित्तोडगढ

हस्ताक्षर किये तथा कब्जां उसी दिन प्रतिवादी चौख सिंह को सिपूर्द कर दिया तभी से उक्त खरीदशूदा आराजीयात आराजी नम्बर 28 पर प्रतिवादी चोख सिंह काबिज होकर उक्त आराजीयात पर शान्ति पूर्वक बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आरहा है। तथा प्रतिवादी के पिता के द्वारा आराजी नम्बर 29 श्री भभूत कूम्हार निवासी पारसोली को विक्रय की हूई थी तथा दोनो आराजीयात विक्रय करने के बाद वे सागडा का फला चले गये तथा वही बस गये थे तथा कूछ समय पूर्व भभूत कूम्हार निवासी पारसोली से उनके विवाद होने से व भभूत कूम्हार स्वर्ण जाति होकर वादी मीणा जाति के होने से आराजी भभूत कूम्हार के खातेदारी में दर्ज नही हूई तो उनके द्वारा भभूत कूम्हार से उक्त जमीन पूनः ले ली तथा उक्त जमीन उनके पास आने से वादीगण की नियत में फितुर आगया तथा उक्त आराजीयात जो प्रतिवादीगण को विक्रय की हूई है। उसे भी वादीगण प्रतिवादीगण से छिनना चाहते है इसलिए उनके द्वारा यह मिथ्या वाद प्रस्तूत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। तथा काउन्टर क्लेम में अकिंत किया की वर्णित आराजियात पुश्तेनी पैतृक होकर पूर्व में टीला जी की थी तथा टीला के दो पूत्र हूए एक खरता दुसरा भज्जा परन्तु उक्त आराजी अकेले खरता तथा उसके बाद श्री दामला पिता खरता मीणा जो वादी राम सिंह के पिता है उनकी खातेदारी में दर्ज थी तथा भज्जा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हूआ जबकि उक्त आराजीयात पर कब्जा भज्जा का भी था तथा उनकी मृत्यु के बाद धन्ना व नाथू का भी सयुक्त रूप से था तथा दामला की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात वादी राम सिंह के व धन्ना व नाथू के कब्जेयाबी की होकर वादी राम सिंह पिता दाम सिंह के द्वारा व धन्ना व नाथू के द्वारा उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 28 रकबा 3बिगा 09 बिस्वा प्रतिवादी चौखा को बिल एवज 26000/ छब्बीस हजार रूपये में विक्रय कर दिनांक 14/06/1992 को एक लिखा पढी बिकाव नामा स्टाम्प पर गवाहो के समक्ष प्रतिवादी श्री चोख सिंह के पक्ष में निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर किये तथा कब्जा उसी दिन प्रतिवादी को सिपूर्द कर दिया तभी से उक्त खरीदशूदा आराजीयात आराजी नम्बर 28 पर प्रतिवादी चोख सिंह काबिज होकर उक्त आराजीयात पर शान्ति पूर्वक बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आरहा है तथा वर्तमान में मौके पर काबिज है। तथा प्रतिवादीगण ने यह भी अकिंत किया की वर्णित आराजियात प्रतिवादी की खरीदशूदा होकर उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करता चला आरहा है तथा प्रतिवादी उक्त आराजीयात पर 20 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वह खातेदार काश्तकार हो चूका है तथा प्रतिवादी उक्त आराजीयात आराजी नम्बर 28 की खातेंदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी एडवर्स पजेशन धारा 63 :4: राज0 काश्त0 अधि0 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उसके द्वारा प्रतिवादीगण के उठाये गये तथ्यो से इन्कारी की जिस पर न्यायालय द्वारा विवाधक विरचित किये गये तथा वादीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत हेतु कई अवसर दिये पर उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही की तत्पश्चात वादीगण के द्वारा वाद में अनुपस्थित रहने से वादीगण का वाद खारीज कर दिया गया।प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने पर काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत की गयी जिस पर प्रतिवादी ने अपनी [illegible] प्रतिवादी चोखसिंह व गवाह नानूराम,मांगुरावत रामसिंह मीणा [illegible] तथा दस्तावेजी साक्ष्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:45:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

जमाबन्दी व विक्रय इकरार प्रदर्शित कराये गये साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी तथा बहस एक पक्षीय काउन्टर क्लेम पर प्रतिवादीगण की सुनी गयी।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व वादीगण रामसिंह के वाद से स्पष्ट है कि उक्त आराजी दामला मीणा के खातेदारी की थी तथा रामसिंह उसका पुत्र हैं तथा जमाबन्दी से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी पुश्तैनी पैतृक हैं तथा विक्रय ईकरार के अवलोकन से यह प्रकट होता हैं कि रामसिंह जो दामला का पुत्र हैं उसके व धन्ना व नाथू के द्वारा उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 28 रकबा 3बिगा 09 बिस्वा प्रतिवादी चौखा को बिल एवज 26000/ छब्बीस हजार रूपये में विक्रय कर दिनांक 14/06/1992 को एक लिखा पढी बिकाव नामा स्टाम्प पर गवाहो के समक्ष प्रतिवादी श्री चोखसिंह के पक्ष में निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर किये तथा कब्जा उसी दिन प्रतिवादी को सिपूर्द कर दिया तभी से उक्त खरीदशूदा आराजीयात आराजी नम्बर 28 पर प्रतिवादी चोख सिंह काबिज हैं चुंकि दामला की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरण की कार्यवाही नही हुई इसलिए उक्त विक्रय इकरार रामसिंह के द्वारा लिखा गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर वर्ष 1992 से प्रतिवादी चोखसिंह उक्त आराजी पर काबिज हैं तथा वादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नही आया ना ही उनके द्वारा उक्त काउन्टरवाद व प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है। प्रतिवादी चोखसिंह ने अपना काउन्टर वाद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पुरी तरह से साबित किया हैं अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा सग्रामपुरा पटवार हल्का पारसोली की आ.न. 28 रकबा 3 बिघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी चोखा पिता मेंघा जाति मीणा निवासी सग्रामपुरा के खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे प्रतिवादी के कब्जेयाबी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करे न करावे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरीत कर सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:45:29 IST
Reason: SelfAttested